

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली(राजस्थान)

पीठसील अधिकारी : श्री नौसख अकवाल, आई.ए.एस.

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 09/2016

दायरा तिथि : 05.02.2016

निर्णय तिथि : प्राथमिक डिक्री 18.12.2017 फाईनल डिक्री : 17-04.2018

वादीगण :-

1. खैरुनिशा फति उरमानखांजी
2. ईमरान खा पुत्र उरमानखांजी
3. रहिशा बानु पुत्री उरमानखांजी
4. रालमाबानु पुत्री उरमानखांजी

जातिगण मुसलमान, निवासीगण बेडा हाल निवासी
अजमेर तहसील अजमेर जिला अजमेर

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. लतीफखां पुत्र हाजी जाति मुसलमान
2. अहमदखां पुत्र हाजी जाति मुसलमान
3. मेमुनाबानो पुत्री हाजी जाति मुसलमान
निवासीगण बेडा तहसील बाली जिला पाली राजस्थान
4. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

उपरिस्थिति :-

1. श्री ओमप्रकाश दवे
2. तहसीलदार, बाली

अभिभाषक वादीगण की ओर से
पैरोकार सरकार


वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

: : निर्णय : :

दिनांक : 17-04.2018

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। वादीगण ने वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध प्रतिवादीगण पेश कर वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 के संयुक्त सहायतादेवारी में धारित की जा रही भूमि सरहद मौजा मोशीबेडा स्टेशन पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 1269 रकबा 0.56 हेक्टर किस्म बाराणी दोयम खसरा नंबर 2271 रकबा 0.90 हेक्टर किस्म बाराणी दोयम कुल रकबा 1.46 हेक्टर वार्षिक लगान 07.30 रुपये के संबन्ध में अधिकार अभिलेखों में दर्ज हिरसा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन की डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। अपने वादपत्र के समर्थन में वादीगण द्वारा बतौर अभिलेखीय साक्ष्य राजस्व रेकर्ड जमाबंदी 2070 से 2073 की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की। तथा बतौर मौखिक साक्ष्य महाह पो.डब्लू0-01 वादीनी खैरुनिशा के बयान कलमबद्ध कराये गये।

वादीगण के वादपत्र में प्रतिवादीगण को न्यायालय द्वारा सम्मन जारी किये जाने पर प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4 के सम्मन दिनांक 7.04.2016 की नियत पेशी के बाद तामील प्राप्त हुये। तथा प्रतिवादी संख्या-03 का सम्मन अदम तामील प्राप्त होने से पुनः सम्मन फालना निवास के पते पर जारी किया गया। प्रतिवादी संख्या-03 को जारी सम्मन भी दिनांक 28.11.2017 की नियत पेशी का बाद तामील प्राप्त हुआ। प्रतिवादीगण संख्या-01 व 02 सम्मन तामील के बावजूद नियत पेशी 07.04.2016 तथा उसके पश्चात् की नियत पेशीयो पर उपरिस्थित नहीं रहने से दिनांक 28.11.2017 को प्रतिवादी संख्या- 01 व 02 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अगल में लाई गई। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या-03 भी दिनांक 28.11.2017 को नियत पेशी पर बावजूद सम्मन तामील के वकालतन/असालतन उपरिस्थित पेज लगातार.....2



उप-खण्ड अधिकारी, बाली

//2//

राजस्व वाद संख्या 09/2016 अनवान खैरुनिशा वगैरा बनाम लतीफ खाँ वगैरा
अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

नहीं होने से प्रतिवादी संख्या-03 के विरुद्ध भी न्यायालय द्वारा दिनांक 28.11.2017 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या-04 तहसीलदार, बाली उक्त विभाजन के वाद में फोरमल पक्षकार होने से उनके द्वारा कोई जवाब पेश नहीं करना चाहा। जिससे दिनांक 28.11.2017 को प्रतिवादी संख्या-04 परोकार सरकार का भी जवाब अवसर बन्द करते हुये प्रकरण को वादी पक्ष की एक पक्षीय शहादत के लिये रखा गया। वादी पक्ष की और से दिनांक 29.11.2017 को गवाह वादीनी खैरुनिशा के बयान बतौर पी.डब्ल्यू.-01 दर्ज कराये गये। तथा इसके अतिरिक्त कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहने से दिनांक 29.11.2017 को वादी पक्ष की साक्ष्य बन्द करते हुये प्रकरण में वकील वादी व परोकार सरकार की बहस पर मनन के पश्चात् प्रकरण में वर्णित भूमि सरहद मौजा मोरीबेडा स्टेशन पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 1269 रकबा 0.56 हैक्टर किस्म बारानी दोयम व खसरा नंबर 2271 रकबा 0.90 हैक्टर किस्म बारानी दोयम कुल रकबा 1.46 हैक्टर वार्षिक लगान 07.30 रुपये के संबध में अधिकार अभिलेखों में दर्ज हिस्सा अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य बाई मिट्स एण्ड वाऊण्डस के विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने के आदेश दिये गये। प्राथमिक डिक्री आदेश की पालना में तहसीलदार, बाली द्वारा पक्षकारों के मध्य बाई मिट्स एण्ड वाऊण्डस के विभाजन कर निम्नानुसार विभाजन के प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये:-

I लतीफ खाँ पुत्र हाजी कौम मुसलमान का हिस्सा

नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर मे)	किस्म भूमि	लगान (रुपये मे)	नजरी नक्शा मे वर्णित रंग
लतीफ खाँ पुत्र हाजी कौम मुसलमान सा. बेडा खातेदार	1271/1	0.3650	बा.दो.	1.83	लाल

II अहमद खाँ पुत्र हाजी कौम मुसलमान का हिस्सा

नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर मे)	किस्म भूमि	लगान (रुपये मे)	नजरी नक्शा मे वर्णित रंग
अहमद खाँ पुत्र हाजी कौम मुसलमान सा. बेडा खातेदार	1269/1 1271	0.1950 0.1700	बा.दो. बा.दो.	0.98 0.85	हरा

III मेमुनाबानो पुत्री हाजी कौम मुसलमान का हिस्सा

नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर मे)	किस्म भूमि	लगान (रुपये मे)	नजरी नक्शा मे वर्णित रंग
मेमुनाबानो पुत्री हाजी कौम मुसलमान सा. बेडा खातेदार	1269	0.3650	बा.दो.	1.83	भूरा

IV खैरुनिशा पत्नि उस्मानखांजी वगैरा का हिस्सा

नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर मे)	किस्म भूमि	लगान (रुपये मे)	नजरी नक्शा मे वर्णित रंग
खैरुनिशा पत्नि उस्मानखांजी ईमरान खाँ पुत्र उस्मानखांजी रहिशा बानु, सलमाबानु पुत्री उस्मानखांजी कौम मुसलमान सा. बेडा खातेदार	1271/2	0.3650	बा.दो.	1.82	आसमानी



तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट के संबध में वकील वादी श्री ओमप्रकाश देवे की बहस सुनी गई। वकील वादी ने बहस में तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट से सहमति जताते हुये इसी अनुसार फाईनल डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया।

//3//

राजस्व वाद संख्या 09/2016 अनवान खैरुनिशा वगैरा बनाम लतीफ खाँ वगैरा
अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

पत्रावली व उपलब्ध रेकॉर्ड के अध्ययन व उभय पक्ष वकूलाय की बहस पर मनन के पश्चात सरहद मौजा मोरीबेडा स्टेशन पटवार हल्का दूदनी तहसील वाली के खसरा नंबर 1269 रकबा 0.58 हैक्टर किस्म बरानी दोयम खसरा नंबर 2271 रकबा 0.90 हैक्टर किस्म बरानी दोयम कुल रकबा 1.46 हैक्टर वार्षिक लगान 07.30 रुपये के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53, 188 के तहत तहसीलदार, वाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट के अनुसार निम्नानुसार विभाजन की फाईनल डिक्री जारी की जाती है:-

I लतीफ खाँ पुत्र हाजी कौम मुसलमान का हिस्सा

नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर मे)	किस्म भूमि	लगान (रुपये मे)	नजरी नक्शा मे वर्णित रंग
लतीफ खाँ पुत्र हाजी कौम मुसलमान सा. बेडा खातेदार	1271/1	0.3650	बा.दो.	1.83	लाल

II अहमद खाँ पुत्र हाजी कौम मुसलमान का हिस्सा

नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर मे)	किस्म भूमि	लगान (रुपये मे)	नजरी नक्शा मे वर्णित रंग
अहमद खाँ पुत्र हाजी कौम मुसलमान सा. बेडा खातेदार	1269/1 1271	0.1950 0.1700	बा.दो. बा.दो.	0.98 0.85	हरा

III मेमुनाबानो पुत्री हाजी कौम मुसलमान का हिस्सा

नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर मे)	किस्म भूमि	लगान (रुपये मे)	नजरी नक्शा मे वर्णित रंग
मेमुनाबानो पुत्री हाजी कौम मुसलमान सा. बेडा खातेदार	1269	0.3650	बा.दो.	1.83	भूरा

IV खैरुनिशा पत्नि उस्मानखांजी वगैरा का हिस्सा

नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर मे)	किस्म भूमि	लगान (रुपये मे)	नजरी नक्शा मे वर्णित रंग
खैरुनिशा पत्नि उस्मानखांजी ईमरान खाँ पुत्र उस्मानखांजी रहिशा बानु सलमाबानु पुत्री उस्मानखांजी कौम मुसलमान सा. बेडा खातेदार	1271/2	0.3650	बा.दो.	1.82	आसमानी

वादीगण के हिस्से बंट की भूमि मे प्रतिवादी दखलन्दाजी नहीं करे इस हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के तहत प्रतिवादीगण के विरुद्ध सार्वकालिक निषेधाज्ञा की डिक्री जारी की जाती है।

तहसीलदार, वाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट व नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्या का भाग माना जावे। लगान राशि 07.30 रुपये के पांच गुणा राशि पर देय मुद्रांक पेश होने पर डिक्री पर्या जारी हो। रेकॉर्ड में अमल दरामद व नक्शे में तरमीम के लिये

तहसीलदार, वाली व पटवारी हल्का, मौखमपुरा को लिखा जावे। मिसल फैंसल शुमार होकर भंडारण कम हो।



निर्णय आज दिनांक 17-11-2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गौरव अग्रवाल)
अध - स्वयं अधिकारी, वाली

(गौरव अग्रवाल)
अध - स्वयं अधिकारी, वाली